

# न्यायालय उपायुक्त लोहरदगा

हलका 111  
Page No. 85 Vol 07

फॉर्म सं० 562

आदेश-पत्रक  
(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

फुलो देवी व अन्य

वस.

सरकार व अन्य

आदेश पत्रक ता०.....से.....तक

जिला.....सं०.....सन् 20

केस का प्रकार.....**विनिध वाद सं. 01/2022-23**

आदेश की  
क्रम सं०  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कारवाई  
के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित

1.

2.

3.

9/9/22

सचिव, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के वाद W.P.(Cr.) No. 248/2020 फुलो देवी बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 02.09.2022 को पारित आदेश की छाया प्रति उनके द्वारा प्राप्त है। अवलोकन किया।

7/10

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा निदेशित है कि आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा किया जाना है। तदनुसार संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा एवं थाना प्रभारी, सेन्हा को भेजी जाय तथा सरकारी अधिवक्ता, लोहरदगा को आदेश की प्रति भेजते हुए सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की जाय। दिनांक 16/9/22 को रखें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,  
लोहरदगा।

उपायुक्त,  
लोहरदगा।

| आदेश की<br>क्रम सं० और<br>तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की<br>गई कारवाई<br>के बारे में<br>टिप्पणी तारीख<br>सहित |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

1.

2.

3.

**न्यायालय उपायुक्त लोहरदगा**  
विधि वाद सं० - 01/2022-2023  
फुलो देवी बनाम सरकार व अन्य।

### आदेश

22/11/22

सचिव, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, के वाद सं० W.P.(Cr.) No. 248/2020 फुलो देवी बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 02.09.2022 को पारित आदेश की छाया प्रति प्राप्त है। उक्त आदेश से संबंधित मौजा तोडार, अंचल सेन्हा, थाना नं० 193 आर०एस० खाता नं० 88 प्लॉट नं० 600 रकबा 0.74 डि० भूमि में से 0.25 डि० भूमि जिसका हाल सर्वे खाता सं० 207 प्लॉट 970 रकबा 0.25 डि० पर बाहरदिवारी निर्माण में अवधेश साहू व अन्य के द्वारा बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है।

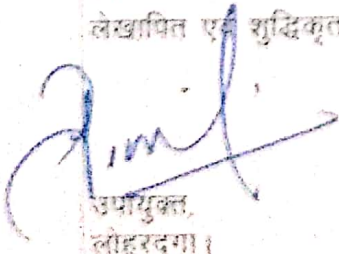
माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के वाद W.P.(Cr.) No. 248/2020 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 की प्रति अंचल अधिकारी, सेन्हा को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है, जो जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, जो नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है।

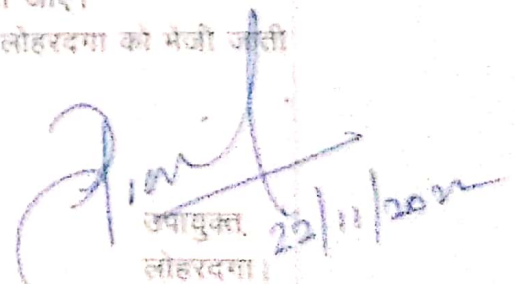
दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न सभी आवश्यक कागजातों एवं अंचल अधिकारी, सेन्हा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, सेन्हा के पत्रांक 687 दिनांक 13.10.2022 द्वारा यह स्पष्ट है कि बादी की जमाबंदी संबंधित भूमि का ब्योरा दर्ज है। अंचल अधिकारी, सेन्हा के द्वारा जमाबंदी पर कोई भी संदेह व्यक्त नहीं किया गया है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि पुलिस उपाधीक्षक, (मुख्यालय), लोहरदगा एवं थाना प्रभारी सेन्हा इस भूमि में बादी फुलो देवी के इस भूमि विवाद के मामले में बादी को अविलंब सुरक्षा प्रदान की जाय एवं भविष्य में किसी प्रकार से शांति भंग न हो। इसलिये सतत पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

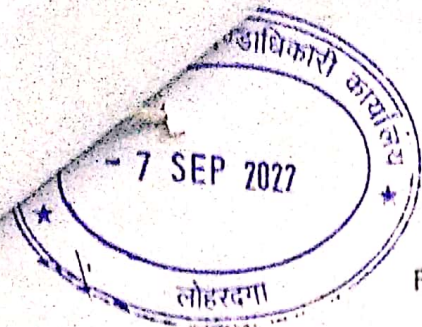
इस आदेश की प्रति उचित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को भेजी जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

  
उपायुक्त,  
लोहरदगा।

  
उपायुक्त,  
लोहरदगा। 22/11/2022





IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI  
W.P. (Cr.) No. 248 of 2020

Fulo Devi

... Petitioner

-Versus-

1. The State of Jharkhand
2. The Deputy Commissioner, Lohardaga
3. The Superintendent of Police, Lohardaga
4. The Sub-Division Officer, Lohardaga
5. The Officer-In-Charge, Senha Police Station, Lohardaga
6. Pritam Sahu
7. Binod Sahu
8. Awdhesh Sahu
9. Shyam Sahu
10. Paras Sahu

... Respondents

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KUMAR DWIVEDI

For the Petitioner

: Mr. Swapan Maji, Advocate

For the State

: Mr. Ashish Kumar, A.C. to G.A.-II

06/02.09.2022. This petition has been filed for direction upon the respondent authorities to provide protection to the petitioner for erecting boundary wall, which was demolished by unsocial elements.

Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has already approached the Deputy Commissioner, Lohardaga and Superintendent of Police, Lohardaga.

In view of the above facts and considering the submission of the learned counsel for the petitioner, this writ petition is being disposed of with direction to the petitioner to file fresh representation before the Deputy Commissioner, Lohardaga, who will look into the matter and pass appropriate order within four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order and if necessary, he may direct the authority concerned to look into the matter.

Accordingly, this petition stands disposed of.

(Sanjay Kumar Dwivedi, J.)

Plot No. 600, Lohardaga, Dist. P.K.  
Serial Plot No. 93, Lohardaga, Dist. P.K.

Secretary, District P.K.